न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 47/2013

1 पाला पुत्र औंकार।
2 सुभाष पुत्र मदन।
3 लालचन्द पुत्र मदन।
4 मनोज पुत्र मदन।
5 मेवा देवी पत्नी मदन समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण झड़ाया नगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 घीसा पुत्र मन्शा (मृतक)।
1/1 लक्ष्मी देवी बेवा घीसा।
1/2 मदन पुत्र घीसा।
1/3 छोटुराम पुत्र घीसा।
1/4 कृष्ण कुमार पुत्र घीसा।
1/5 सुवा पुत्री घीसा।
1/6 भोल्या पुत्री घीसा।
1/7 सन्तो पुत्री घीसा।
1/8 भीस्नता पुत्री घीसा।
1/9 कल्पा पुत्री घीसा।
2 कैलाश पुत्र गिरधारी।
3 सीताराम पुत्र गिरधारी।
4 विक्रम पुत्र गिरधारी।
5 पप्पु पुत्र फुलाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

6 झाबर पुत्र फुलाराम।
7 बुगला पुत्र फुलाराम।
8 मिश्री पत्नी फुलाराम।
9 नन्दा पुत्र भोलूराम।
10 बनवारी पुत्र भोलूराम।
11 सुरज्ञान पुत्र भोलूराम।
12 किशोर पुत्र भोलूराम।
13 नानू पुत्र भोलूराम।
14 भूरा पुत्र बोदु।
15 जीवण पुत्र बोदु।
16 रतना पुत्र बोदु।
17 सुन्दरी पुत्री गिरधारी।
18 सावित्री पुत्री गिरधारी।
19 सुनिता पुत्री गिरधारी समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण झड़ाया नगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
20 मन्शाराम पुत्र औंकार।
21 भागु पुत्र औंकार।
22 पूर्णमल पुत्र औंकार।
23 फुली पत्नी फुलाराम।
24 सुमन देवी पत्नी रामपाल समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण झड़ाया नगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
25 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा उनवानी
घासी वगैरह बनाम सुन्दरी वगैरह प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम मुकदमा नम्बर 291/2012 बखिलाफ
आदेश दिनांक 14.06.2013

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 08.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 291/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 14.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में धारा 251ए का आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को ग्राम झड़ाया नगर पटवार हल्का पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2857,2922,2923,3011 में अप्रार्थीगण नम्बर 4 लगायत 13 की शामलाती राजस्व रिकार्ड की भूमि खसरा नम्बर 2925 मे से आने जाने के लिए नजरी नक्शे के अनुसार क से ख बिन्दु से दर्शित जो रास्ता है उसको दिलवाये जाने निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पटवारी गिरदावर द्वारा मौका रिपोर्ट में उपस्थित हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पक्षकारो को किसी प्रकार की सूचना नही दी गई। मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार के हस्ताक्षर नही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में डी.एन.जे. (रेवन्यू) 2018 पेज 221 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, जवाब प्राप्त कर, तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन धारा 251ए स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल. डब्ल्यू 2016(1) पेज 684, आर.एल.डब्ल्यू 2017(1) पेज 509 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 14.06.2013 में स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने का अंकन किया है किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई मौका रिपोर्ट संलग्न नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका देखा जाना अंकित किया हुआ है किन्तु मौके की स्थिति एवं अवस्थिति के बारे में कोई विवेचन नही है। यहां यह भी विचारणीय है कि पटवारी, गिरदावर द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारो को सुचित नही किया गया है जबकि विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी. एन.जे. 2018 (रेवेन्यू) पेज 221 में माननीय राजस्व मण्डल में अभिनिर्धारित किया है कि " Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec.251-A-Application to sanction the new way was allowed - Respondent Nos. 1 to 3 claimed way from khasra No. 3670 and prayed to delete the khatedar rights of the revisionist over the said land - Report does not show that the Tehsildar himself visited the site - No notice

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

given to parties to remain present at the site - Non compliance of the directions given by the SDO- Summary inquiry made by the Trial court is not lawful - Courts below have committed the patent illegality and perversity in the orders - Held, Orders set aside and case remitted to the SDO to summon the report after.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि धारा 251ए की विधिक प्रावधानों की पालना कर प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर